न्यायालयः- सिविल जज (जू.डि.), मऊ, चित्रकूट।

मूलवाद संख्या- 53 / 2016

शारदा प्रसाद बनाम सियम्बर

04.04.2019-

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी पक्ष के विरूध्द वाद की कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 23क1 पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 23क1

प्रार्थना पत्र 23क1 वादी पक्ष द्वारा इस आशय का दिया गया है कि इस वाद में वादी शारदा प्रसाद पुत्र भगवानदीन की मृत्यु दिनांक-01.01.2019 को हो गई है, के स्थान पर प्रार्थीगण श्यामसुन्दर, शिवसुन्दर व राजेश को प्रतिस्थापित किये जाने तथा तदनुसार वाद पत्र में संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

सुना गया व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

प्रार्थना पत्र 23क1 वादी की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान को प्रतिस्थापित करने तथा तदनुसार संशोधन हेतु हैं। जनरल रूल सिविल के नियम 37 का अनुपालन किया गया है। प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत दिया गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 23क1 स्वीकार किया जाता हैं। वादी पक्ष संशोधन अन्दर सप्ताह तरमीम करना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते एक पक्षीय साक्ष्य दिनांक-10.05.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू.डि.),
मऊ, चित्रकूट।